भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1506
09 दिसंबर, 2025 को उत्तर के लिए

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना

1506. श्री एम. के. राघवन:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के अंतर्गत केरल के मछुआरों के कल्याण हेतु चलाए जा रहे कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत केरल के कालीकट के मछुआरा समुदाय के लिए शीत श्रृंखला अवसंरचना में सुधार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) सरकार द्वारा देश के तटीय क्षेत्र में डीप ट्रॉलिंग को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) सरकार द्वारा वैश्विक टैरिफ के आलोक में मत्स्य निर्यात क्षेत्र को सहायता प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) सरकार द्वारा मत्स्य निर्यात क्षेत्र सहित मत्स्य क्षेत्र से जुड़े कामगारों के कल्याण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) पिछले पाँच वर्षों के दौरान मत्स्य क्षेत्र हेतु स्थापित की गई शीत भंडारण इकाइयों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इनकी संख्या कितनी है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क): मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार ने विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष (वित्त वर्ष 2025-26) के दौरान प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के तहत केरल सरकार के 1410.40 करोड़ रुपए के मात्स्यिकी विकास प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। स्वीकृत गतिविधियों में अन्य बातों के साथ-साथ मछली पकड़ने पर प्रतिबंध के दौरान मछुआरों को आजीविका सहायता, पारंपरिक मछुआरों को नाव और जाल खरीदने के लिए सहायता, इंटीग्रेटेड मॉडर्न कोस्टल फिशिंग विलेजस की स्थापना, क्लाइमेट रेसीलिएंट गाँव की स्थापना, अतिरिक्त और वैकल्पिक आजीविका गतिविधियां जैसे

बाइवाल्व कल्टीवेशन, केज कल्चर, ऑर्नामेंटल फिशरीज़, फिश मार्केट और कियोस्क, कोल्ड चेन सुविधाएं, लाइव फिश वेंडिंग सेंटर, आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम और फिशिंग हारबर्स और मार्केटिंग सुविधाओं का विकास आदि शामिल हैं।

(ख): मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार PMMSY के तहत कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है जिसमें शामिल है-आइस प्लांट की स्थापना, कोल्ड स्टोरेज, मत्स्य परिवहन वाहन जैसे आइस बॉक्स वाली मोटर साइकिल, आइस बॉक्स के साथ थ्री व्हीलर, रेफ्रिजेरेटेड वेहिकल, इंसुलेटेड वेहिकल, लाइव फिश वेंडिंग सेंटर, फिश कियोस्क, फिश मार्केट आदि। PMMSY के तहत, लाभार्थी की पहचान संबंधित राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा की जाती है। केरल सरकार ने सूचित किया है कि कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं में सुधार के लिए कोझिकोड के लाभार्थियों को आइस बॉक्स के साथ 36 मोटर साइकिल, आइस बॉक्स के साथ 10 थ्री-व्हीलर, 1 लाइव फिश वेंडिंग सेंटर, फिश कियोस्क की 2 यूनिट्स, फिश वेंडिंग के लिए ई-स्कूटर की 50 यूनिट्स, मछुआरों के लिए 100 आइस बॉक्स स्वीकृत किए गए हैं।

(ग): क्षेत्रीय तटीय जलक्षेत्र में मत्स्यन संबंधी गतिविधियाँ, संबंधित तटीय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नियंत्रित होती हैं। मत्स्यपालन विभाग भारत सरकार, तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके संबंधित मरीन फिशिंग रेगुलेशन एक्ट्स (MFRAs) के तहत प्रदान किए गए गियर और मेश साइज विनियमों के सख्त कार्यान्वयन, मत्स्य स्टॉक की पुनर्बहाली के लिए प्रत्येक वर्ष 61 दिनों की अवधि के लिए एक समान मत्स्यन प्रतिबंध जैसे संरक्षण और प्रबंधन उपायों के कार्यान्वयन के लिए सलाह जारी करता है। मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने अनन्य आर्थिक क्षेत्र/एक्सक्लूसिव एकोनोमिक ज़ोन (EEZ) में बुल या पेयर ट्रॉलिंग जैसी विनाशकारी मत्स्यन पद्धतियों और मत्स्यन के लिए LED लाइट जैसी आर्टिफिशियल लाइट के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगा दिया है और तटीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रादेशिक जलक्षेत्र में भी इसी प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए हैं। समुद्र में मछुआरों की सुरक्षा बढ़ाने और मॉनिटरिंग, कंट्रोल और सरवेलेन्स उपायों को सुदृढ़ करने के लिए वेसल कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट सिस्टम को भी सहायता प्रदान किया जाता है। समुद्री राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को भी सलाह दी गई है कि वे अपने प्रादेशिक जल क्षेत्र में विनाशकारी मत्स्यन पद्धतियों पर रोक लगाने के लिए ज़रूरी आदेश जारी करें, सरकारी आदेशों का उल्लंघन करने वाली फिशिंग वेसल्स का रजिस्ट्रेशन/लाइसेंस अस्थायी रूप से निलंबित करें, बार-बार उल्लंघन करने पर ऐसी फिशिंग वेसल्स का रजिस्ट्रेशन/लाइसेंस रद्द करें, और ऐसे उल्लंघन करने वालों के बारे में कोस्ट गार्ड और दूसरी समुद्री प्रवर्तन एजेंसियों को सूचित करें, साथ ही फिशिंग वेसल्स के संचालन को रोकने के निर्देश भी दें।

(घ): मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण/ मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी (MPEDA) के परामर्श से मात्स्यिकी निर्यात को सहायता प्रदान करने के लिए कई उपाय किए है जैसे कि संवेदीकरण और जागरूकता कार्यक्रम, परामर्श, वैल्यू एडिशन पर चिंतन शिविर, बायर-सेलर मीट की सुविधा देना आदि। निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न व्यापार प्रतिनिधिमंडलों के माध्यम से विविधीकरण के लिए नए बाज़ारों की पहचान तथा मौजूदा संभावित बाज़ारों के सुदृढ़ीकरण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अन्य मौजूदा FTA की समीक्षा के साथ-साथ प्रमुख बाजारों के साथ फ़्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) वार्ताओं में तीव्रता लाने के प्रयास भी चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने संभावित देशों के साथ कई बैठकें कीं और व्यापार संबंधों को सुदृढ़ करने, वैल्यू एडिशन बढ़ाने, गुणवत्ता आश्वासन, बायोसिक्योरिटी और गुणवत्ता अनुपालन, अनुसंधान एवं विकास (R&D) सहयोग प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर विचार-विमर्श किया।

(ड़): PMMSY के तहत, मछुआरों, मत्स्य किसानों और संबंधित हितधारकों का कल्याण प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। इसलिए, मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता, गुणवत्ता, टेक्नोलॉजी, पोस्ट हार्वेस्ट, उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाने और मछुआरों और मत्स्य किसानों की आय में वृद्धि, मछुआरों को बीमा, मत्स्यन प्रतिबंध के दौरान आजीविका और पोषण संबंधी सहायता आदि में महत्वपूर्ण कमियों को दूर करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। PMMSY के तहत, मछुआरे, मत्स्य किसान और संबंधित हितधारक जिनमें फिश एक्सपोर्ट करने वाले भी शामिल हैं, क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यकता आधारित हस्तक्षेप करने के लिए सहायता के लिए पात्र हैं।

(च): PMMSY में आइस प्लांट, अलग-अलग क्षमता के कोल्ड स्टोरेज बनाने और मौजूदा आइस प्लांट और कोल्ड स्टोरेज के आधुनिकीकरण की परिकल्पना की गई है। विगत पांच वर्षों में, केरल समेत राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को अलग-अलग क्षमता के 730 आइस प्लांट/कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स स्वीकृत किए गए हैं। PMMSY के तहत विगत पांच वर्षों में स्वीकृत किए गए आइस प्लांट और कोल्ड स्टोरेज यूनिट का राज्य-वार विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

अनुबंध- I

'प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना' के संबंध में 9 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1506 के भाग (च) में उल्लिखित विवरण : PMMSY के तहत विगत पांच वर्षों में स्वीकृत किए गए आइस प्लांट और कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स की राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार विवरण:

(लाख में)

क्रम संख्या	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	यूनिट्स (संख्या)
1	अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	32
2	आंध्र प्रदेश	16
3	अरुणाचल प्रदेश	2
4	असम	9
5	बिहार	52
6	छत्तीसगढ	9
7	गोवा	8
8	गुजरात	25
9	हरियाणा	23
10	हिमाचल प्रदेश	22
11	झारखंड	32
12	कर्नाटक	127
13	केरल	16
14	लद्दाख	4
15	लक्षद्वीप	28
16	मध्य प्रदेश	60
17	महाराष्ट्र	83
18	मणिपुर	8
19	मेघालय	12
20	मिजोरम	12
21	ओडिशा	40
22	पुदुच्चेरी	8
23	पंजाब	2
24	राजस्थान	3
25	सिक्किम	1
26	तमिलनाडु	40
27	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	1
28	त्रिपुरा	2
29	उत्तर प्रदेश	1
30	उत्तराखंड	2
31	पश्चिम बंगाल	50
